अनुलग्नक-IV

अवधारणाएँ एवं महत्वपूर्ण परिभाषायें

उद्यम

आर्थिक गणना के प्रयोजनार्थ उद्यम एक ऐसे उपक्रम को माना गया है, जो किसी वस्तु के उत्पादन और/या वितरण और/या किसी प्रकार के ऐसे सेवा कार्य में रत हों जो पूर्णतया स्व–उपभोग के लिए न हो।

उद्यम के कर्मचारी परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों ही हो सकते हैं तथा उद्यम के कार्य–कलाप एक या एक से अधिक हो सकते है, किन्तु ये कार्यकलाप स्पष्ट रूप से नियमित आधार पर अर्थात् मौसम/वर्ष के मुख्य भाग के दौरान चालू रहे हों। गणना के समय उपलब्ध समस्त बारहमासी व मौसमी रूप से संचालित उद्यमों को सूचीबद्ध किया गया है। उद्यमों की गणना करते समय बारहमासी उद्यमों के लिए पिछला कैलेण्डर वर्ष एवं मौसमी उद्यमों के पिछले कार्यकारी मौसम को सन्दर्भ अवधि माना गया है। ऐसे मामलों को भी उद्यम माना गया जिनमें उद्यम का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति/परिवार अथवा संयुक्त रूप से कई परिवार/साझेदारी/अथवा संस्थागत निकाय या सरकार का रहा हो।

कृषीय उद्यम

छठी आर्थिक गणना के संदर्भ में कृषीय उद्यम वह उद्यम है जो पशुधन, कृषि वस्तुओं के उत्पादन (फसल उत्पादन एवं बागवानी को छोड़कर), कृषि सेवाओं, आखेटन तथा आखेट प्रसार, वानिकी एवं लट्ठे बनाना, मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि इत्यादि (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण–2008 के प्रमुख वर्ग समूह 011, 012, 013, 014 एवं 015 के अनुरूप) की गतिविधि में संलग्न हो, जिसके उत्पादन का कुछ न कुछ भाग विक्रय के लिये हो, को कृषीय उद्यम माना गया है।

फसलों का उत्पादन एवं उद्यानिकी कार्य करने वाले उद्यमों को यद्यपि वे कृषीय उद्यम है, परन्तु उन्हें आर्थिक गणना की परिधि से बाहर रखा गया है अर्थात् कृषक आर्थिक गणना की परिधि से बाहर है।

फसल उत्पादन एवं बागवानी से संबंधित सहायक/आकस्मिक गतिविधियाँ जो किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी कम्पनी या संस्था द्वारा सशुल्क या किराये पर जैसे कि खेती के लिये उपकरणों का प्रदाय, खेती की जुताई, बुआई, कटाई, कृषि उत्पाद की ढुलाई, सिंचाई सुविधाएं इत्यादि प्रमुख गतिविधि के रुप में की जा रही हो तो उन्हें गणना में सम्मिलित किया जायेगा। यद्यपि चाय, कॉफी, रबर, तम्बाकू आदि फसलों के उत्पादन को इस गणना में कृषीय उद्यम के रुप में वर्गीकृत नहीं किया गया हैं, परन्तु चाय, कॉफी, तम्बाकू आदि के प्रसंस्करण में लगे उद्यमों को उद्यम माना जायेगा तथा उन्हें गणना में शामिल किया जायेगा।

गैर–कृषीय उद्यम

गैर–कृषीय उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम, जो कृषीय कार्य–कलापों जैसे–फसल उत्पादन एवं बागवानी, चाय, कॉफी, तम्बाकू एवं रबर के उत्पादन को छोड़कर अन्य कार्य–कलापों से सम्बद्ध हैं, उन्हें गैर–कृषीय उद्यम कहा गया है।

स्व–कार्यरत उद्यम

केवल पारिवारिक सदस्यों की सहायता से संचालित उद्यमों को स्व–कार्यरत उद्यम माना गया।

संस्थान

ऐसे उद्यम को संस्थान माना गया है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति नियमित रूप से भाड़े पर कार्यरत था।

स्थापना

स्थापना एक ही स्थान में स्थित इकाई है, जो मुख्य रुप से एक तरह के आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न है, जो

अनुलग्नक-IV

किसी सामान के उत्पादन और वितरण से संबंधित है तथा पूरा उत्पादन केवल स्वयं के उपभोग के लिए न होकर उसका कुछ भाग विक्रय हेतु भी है। उदाहरण के लिए कार्यालय, कोई दुकान, फैक्ट्री या आवासीय मकान जहाँ कोई आर्थिक गतिविधि परिवार के सदस्यों के द्वारा की जा रही है। स्थापना किसी बडे उद्यम या कम्पनी की जिसकी कई स्थानों पर शाखाएं है, का भाग हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक शाखा या मुख्यालय की पृथक–पृथक स्थापनाएं होगी।

एक से अधिक क्रियाकलाप वाले उद्यम

एक ही स्थान पर उद्यम द्वारा एक से अधिक कार्यकलाप किए जा रहे हों तथा उनमें कार्यरत मजदूरों या उत्पादित वस्तुओं का पृथक लेखा उपलब्ध न हो तथा उद्यम में कार्यरत मजदूरों या लेखों का पृथक क्रियाकलापों में विभाजन करना संभव न हो ऐसी स्थिति में सारी गतिविधियों को एक संस्थान/उद्यम के रुप में माना जायेगा जिसकी कोई एक प्रमुख गतिविधि होगी। विशिष्ट उदाहरण के रुप में किराने की दुकान जहां एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सेवाएं भी ग्राहकों को प्राप्त होती हों, लिया जा सकता है। उद्यम की बड़ी अथवा प्रभावी गतिविधि का निर्धारण उस गतिविधि से होने वाली आय/टर्नओवर या उस गतिविधि में संलग्न कामगारों की वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर होगा, परन्तु यदि मजदूरों या कार्यों का पृथक हिसाब रखा जाता हो अर्थात् गतिविधि अनुसार जानकारी पृथक की जा सकती हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक गतिविधि को पृथक उद्यम मानकर पृथक–पृथक उद्यम के रुप में सूचीबद्ध किया जायेगा।

निवास के बाहर निश्चित ढ़ांचे वाले उद्यम

यदि उद्यम मकान/भवन के अन्दर न होकर निवास के बाहर किसी निश्चित ढ़ांचे में चलाया जाता है, तो ऐसे उद्यम को निवास के बाहर निश्चित ढ़ांचे वाले उद्यम कहा जायेगा।

निवास के बाहर बिना निश्चित ढ़ांचे वाले उद्यम

यदि उद्यम मकान/भवन के अन्दर न होकर निवास के बाहर बिना किसी निश्चित ढ़ांचे में/ खुले स्थान में/बिना निश्चित स्थान के कार्यरत उद्यमों को या सचल उद्यम को बिना परिसर उद्यम माना गया।

निवास के भीतर उद्यम

यदि उद्यम मकान/भवन के अन्दर कार्यरत हों तो उसे निवास के भीतर उद्यम माना गया।

स्वामित्व के प्रकार संबंधी अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :–

शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी०एस०यू०)

एक उद्यम, जो पूर्णतः केन्द्रीय या राज्य सरकारों, अर्द्ध शासकीय संस्थानों, स्थानीय निकायों, पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका प्राधिकरण आदि, स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालयों, शिक्षा बोर्डों और सरकारी मालिकाना जैसे स्कूल, पुस्तकालय आदि को शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम माना जायेगा। शासन द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक अथवा 100 प्रतिशत आर्थिक सहयोग के द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं उपक्रमों को शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम माना जायेगा।

सभी उद्यमों को जो सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं हैं, निजी उद्यम माना जाना चाहिए, उन्हें निजी उद्यमों की श्रेणी में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जायेगाः

निजी (मालिकाना) उद्यम :

जब एक व्यक्ति एक उद्यम का एकमात्र स्वामी हो तो वह उद्यम निजी (मालिकाना) उद्यम हैं।

साझेदारी उद्यम :

साझेदारी उद्यम वह उद्यम है जो एक से ज्यादा मालिकों की साझेदारी में, जिनमें उद्यम से अर्जित लाभ के बंटवारे पर सहमति हो तथा जो सभी के द्वारा या सभी की सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हैं। स्वामी एक या

अधिक, उसी परिवार के या अन्य परिवारों के, औपचारिक पंजीकरण सहित या उसके बगैर (जहां उन तथाकथित साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे के बारे में एक अनकहा समझौता होता है) हो सकता है। साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत सभी साझेदारी उद्यम आर्थिक गणना में शामिल किए जायेगे।

निजी कार्पोरेट उद्यम (कम्पनी) :

वे निजी उद्यम (कम्पनियां) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है तथा जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, वे निजी कार्पोरेट उद्यम के तहत आयेंगे। इन उद्यमों में प्राइवेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड दोनों शामिल हैं। लिमिटेड लायबिलिटि पार्टनरशिप (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत साझेदारी उद्यम भी इसमें शामिल होंगे।

अलाभकारी संस्थाएं (एन०पी०आई०) :

लाभनिरपेक्ष संस्थायें वैधानिक या सामाजिक इकाईयां होती है जिनकी स्थापना वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के उद्देश्य से की जाती है, पर इनकी प्रकृति इन्हें अपने को स्थापित करने, नियंत्रित करने या वित्त प्रदान करने वाली इकाइयों के लिए आय, लाभ या अन्य वित्तीय लाभ का एक स्रोत बनने की अनुमति नहीं देती।

सहकारी समितियाँ:

सहकारी समिति वह है जिसका गठन कुछ लोगों के सहयोग से उनके अपने हित के लिए किया जाता है। ये लोग उस समिति के सदस्य कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में, सदस्यों के अंशदान/निवेश से निधि जमा की जाती है और समिति के कार्यकलापों से उत्पन्न लाभ को सदस्यों में बांट दिया जाता है। ऐसी समितियाँ आमतौर पर सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत होती है।

स्वयं सहायता समूह (एस०एच०जी०) :

एक स्वयं सहायता समूह (एस०एच०जी०) जो सामान्यतः 10–20 स्थानीय व्यक्तियों से बना होता है तथा एक वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कुछ महीनों में अल्प नियमित बचत अंशदान द्वारा सदस्य पूँजी एकत्र करते हैं और ऋण देने लायक पर्याप्त धन होने पर ऋण देना प्रारंभ करते है। यह ऋण सदस्यों को या अन्य गांव के लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए दिए जा सकते है। कई स्वयं सहायता समूह लघु ऋण हेतु बैंको से सम्बद्ध भी रहते है उनका पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

उद्यम स्वामी का जेण्डर

मालिकाना उद्यम के मालिक का जेण्डर निर्धारण पुरुष, महिला के अतिरिक्त पहली बार ट्रांसजेण्डर को ''अन्य'' कोड के रूप में वर्गीकृत करते हुए आँकड़े एकत्र किये गये हैं।

उद्यम स्वामी का सामाजिक समूह

निजी (मालिकाना) उद्यम की स्थिति में उद्यम स्वामी का सामाजिक समूह यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अन्य में वर्गीकृत किया गया है। उक्त वर्गीकृत किये गये सामाजिक समूह में से एक मालिक का सामाजिक समूह होगा। जिनके आधार पर आँकड़े एकत्रित कराये गये हैं।

उद्यम स्वामी का धर्म

उद्यम स्वामी के धर्म यथा हिन्दू, इस्लाम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, जैन तथा कहीं वर्गीकृत नहीं/अन्य में वर्गीकृत किया गया है। उक्त वर्गीकृत किये गये धर्म में से एक उद्यम स्वामी का धर्म होगा, जिनके आधार पर आँकड़े एकत्रित कराये गये हैं।

परिचालन का स्वरुप

गणना कार्य में बारहमासी उद्यमों से तात्पर्य ऐसे उद्यमों से है जो वर्ष भर या निरन्तर किये जा रहे हों अर्थात्

अनुलग्नक-IV

उद्यम प्रायः पूरे वर्ष भर सामान्यतः नियमित कार्यरत रहता है, अथवा कार्यरत रहने वाला है (नये उद्यमों की स्थिति में) तो यह बारहमासी क्रियाकलाप हैं तथा मौसमी उद्यमों से तात्पर्य ऐसे उद्यमों से है जो मौसम विशेष से सम्बन्धित हों अर्थात् उद्यम की गतिविधि किसी विशिष्ट मौसम या वर्ष के कुछ माहों तक ही सीमित है तो ऐसी गतिविधियों को मौसमी गतिविधि क्रियाकलाप कहते हैं। जो गतिविधियाँ बारहमासी अथवा मौसमी दोनों नहीं है उनके परिचालन का स्वरुप आकस्मिक माना जायेगा। आकस्मिक गतिविधि समय और साधनों की उपलब्धता के अनुसार कभी भी की जा सकती है।

प्रमुख वित्तीय स्रोत

उद्यम को चलाने के लिये या उसका विस्तार करने के लिये आवश्यक धन की पूर्ति कई वित्तीय संस्थाओं, व्यक्तिगत आदि स्रोतों से की जा सकती है। सर्वेक्षण हेतु उद्यम में विजिट के दिन ऋण देयता तथा बकाया राशि के भुगतान के संबंध में सबसे अधिक राशि जिस संस्था से सम्बद्ध हो वही उसका प्रमुख वित्तीय स्रोत माना जायेगा। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण वाले दिन एक उद्यम को दस लाख रुपये की राशि का भुगतान बैंक को किया जाना है तथा रुपये पांच लाख की राशि का भुगतान किसी साहूकार को करना है। इस स्थिति में उस उद्यम के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत बैंक होगा। प्रमुख वित्तीय स्रोतों को यथा स्व–वित्त पोषण, शासकीय वित्तीय स्रोतों सहायता प्राप्त, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, गैर–संस्थागत वित्तीय संस्थाओं/साहूकार से ऋण, स्वयं सहायता समूह से ऋण एवं दान/अन्य संस्थाओं से स्थानान्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

परिवार

परिवार व्यक्तियों का एक समूह है, जो सामान्तया साथ रहते हों और यदि काम की आवश्यकता उन्हें मजबूर न करे तो एक ही रसोई से खाना खाते हों। इस समूह में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो छः या उससे अधिक माह से एक साथ रहते हों। इसमें अस्थायी रूप से बाहर गये व्यक्ति (अर्थात् वे जिनके परिवार से अनुपस्थित रहने की अवधि छः माह से कम है) शामिल होंगे, परन्तु अस्थायी तौर पर आने वाले अतिथि और मेहमान (जिनके परिवार में रहने की सम्भावित अवधि छः महीने से कम है) शामिल नही होंगे। परिवार के व्यक्ति खून के रिश्ते से जुड़े या परिवार से असंबंधित व्यक्ति या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। असंबंधित परिवारों के उदाहरण बोर्डिंग हाउस, सामूहिक खानपान (मेस), छात्रावास, आवासीय छात्रावास, उद्धारगृह, जेल, आश्रम इत्यादि हैं। इन्हें संस्थागत परिवार कहा जाता हैं। परिवार एक सदस्यीय, दो सदस्यीय या बहु–सदस्यीय हो सकता है। गणना के उद्देश्य से इन सभी प्रकारों को एक परिवार माना गया है। व्यक्तियों का एक समूह जो एक दूसरे से असंबंधित है एवं एक जनगणना मकान में रहता है लेकिन वह एक ही रसोई से भोजन ग्रहण नहीं करता, तो वह संस्थागत परिवार नहीं होगा।

निम्नांकित परिवार/व्यक्तियों को आर्थिक गणना में सूचीबद्ध नहीं किया जायेगाः

(अ) विदेशी नागरिकों के परिवार।

(ब) सेना या अर्द्ध सैनिक छावनियॉ (जैसे सेना, बी.एस.एफ., पुलिस आदि) गणना के क्षेत्र से बाहर हैं। परन्तु छावनी से लगे सामान्य परिवार जो पारिवारिक क्वार्टर में निवास करते हों, को गणना में शामिल किया जाना है।

(स) घुमक्कड़ परिवार अर्थात जिनके पास कोई सामान्य आवास नहीं है, को सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा।

(द) ऐसे व्यक्ति जिनका कोई सामान्य आवास नहीं है, जो खुले स्थान में, सडक किनारे, फर्श पर, सीढियों या पुल के नीचे, मंदिर, मण्डप, रेलवे प्लेटफार्म आदि पर निवास करते है, वे परिवार बिना मकान के परिवार माने जायेंगे तथा ऐसे परिवार आर्थिक गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे।

(ई) अनाथालयों, नारी निकेतन इत्यादि में निवास करने वाले एक सदस्यीय परिवार के रुप में सूचीबद्ध नहीं होंगे, किन्तु ये स्थान एक उद्यम के रुप में सूचीबद्ध किये जायेंगे। हालांकि अनाथालयों एवं नारी निकेतन के एकल परिवारों को सूचीबद्ध नहीं किया जाना हैं, परन्तु ऐसे स्थानों के परिसर में स्थित आवासीय स्टाफ क्वार्टरों में निवासरत परिवारों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

अनुलग्नक-IV

जनगणना मकान

जनगणना मकान एक भवन अथवा भवन का वह भाग है, जिसका उपयोग अथवा पहचान एक पृथक इकाई के रूप में की गयी है क्योंकि उसका मुख्य प्रवेश द्वार अलग से सड़क या साझे अहाते अथवा सीढ़ियों, आदि में खुलता है, हो सकता है कि जनगणना मकान खाली हो या किसी अन्य उपयोग में आता हो। इसका उपयोग आवासीय अथवा गैर आवासीय दोनों प्रकार के उपयोग में हो सकता है।

प्रगणन खण्ड

जनगणना–2011 में प्रगणन खण्ड गणना कार्य की अन्तिम इकाई है। एक प्रगणन खण्ड में लगभग 120 परिवार या लगभग 600 की जनसंख्या सम्मिलित है।

हस्तशिल्प/हथकरघा गतिविधियाँ

हस्तशिल्प/हथकरघा के अन्तर्गत मुख्य रूप से हाथ की कारीगरी एवं कला अथवा परम्परागत ज्ञान के आधार पर केवल सामान्य मशीनों का उपयोग कर बनायी गयी वस्तुओं के उत्पादन से है।

कामगार

वे सभी व्यक्ति (15 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे भी शामिल) जो उद्यम के लिए मालिक, परिवार के सदस्य, मजदूर अथवा उद्यम चलाने के लिए मालिक के सहायक के रूप में चाहे वैतनिक/अवैतनिक, नियमित वेतन प्राप्त, अथवा आकस्मिक/दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, कामगार होंगे। एक कामगार, उद्यम में किसी भी हैसियत से प्राथमिक या पर्यवेक्षी स्तर पर काम कर सकता है। एक उद्यम की सेवाओं को बेचने के लिए नियुक्त विक्रेता और प्रशिक्षु, सवैतनिक या अवैतनिक को भी कामगार माना जायेगा। उद्यम का मालिक जो उद्यम को चला रहा है, को भी उद्यम के एक कार्यरत व्यक्ति के रूप में माना जायेगा।

सामान्यतः प्रतिदिन कार्यरत व्यक्ति

उद्यम के क्रियाकलाप में सामान्य रूप से प्रत्येक दिन कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया चाहे वे स्वामी के परिवार के व्यक्ति हों या भाड़े पर रखे गये श्रमिक हों।

भाड़े पर कार्य करने वाले व्यक्ति

सामान्यतः नियमित रूप से किसी उद्यम में भाड़े पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसके अन्तर्गत रखा गया।